

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला-अलवर

वाजिद बनाम आस मोहम्मद
 किस्म मुकदमा नं. 2222/20 ज. 2/11/2020 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>09.07.2020 आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थी पर गौर करने से प्रथम दृष्ट्या में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक जयें एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 13.08.2020 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नम्बर 113 रकबा 0.90, 114 रकबा 0.42, 165 रकबा 0.34, 168 रकबा 0.61, 21 रकबा 0.20, 304 रकबा 0.30, 574 रकबा 0.32, 754 रकबा 0.32, 755 रकबा 0.21, 770 रकबा 0.70, 775 रकबा 0.11, 916 रकबा 0.77 हैक्ट0 कुल किता 12 रकबा 5.51 हैक्ट0 वाके ग्रम इन्दपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर को प्रार्थी के हिस्से तक रहन, बैय बेचान नही करें। बशर्ते प्रार्थीगण रजिस्टर्ड ए0डी0 से दिनांक 13.08.2020 तक अप्रार्थीगण की तलबी करवाकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। पत्रावली दिनांक 13.08.2020 को पेश हो।</p>	<p>13/8/20 वादी के वकील/कुलनाय उपस्थित/पिलान अधिकारी 20/11/2020 पेश किया गया नथरल पिलाई गई। बाहसे पत्रावली दिनांक 13/11/20 को पेश हो।</p>

उप खण्ड अधिकारी
 रामगढ़ (अलवर)

3

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज

28/11/23 वकील हाजी उपस्थित
 साबिक आदेश दिनांक 9.9.20
 की पालना में पत्रावली वास्ते 21/11/23 को पेश हो।
 दिनांक 13/11/23 को पेश हो। डाक के अन्तिम मोहर

उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर)

13.9.23 वकील हाजी उपस्थित
 साबिक आदेश दिनांक 9.9.20
 की पालना में पत्रावली वास्ते 21/11/23 को पेश हो।
 दिनांक 13.10.23 को पेश हो। डाक के अन्तिम मोहर

उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर)

13.10.23 वकील हाजी उपस्थित
 साबिक आदेश दिनांक 9.7.20
 की पालना में पत्रावली वास्ते 21/11/23 को पेश हो।
 दिनांक 17.11.23 को पेश हो। डाक के अन्तिम मोहर

उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर)

17.11.23 पत्रावली पेश। P.O. साल्ब

 पत्रावली दिनांक 21/11/23 को पेश हो।

29.12.23

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील हाजी अनुपस्थित।
 वकील व उनके हाजी को बार-बार आवाज
 दिलायी गई। इसके बावजूद वकील व उनके
 हाजी उपस्थित नहीं आये। अतः हाजीनामा
 - 212 A.P.A वकील व उनके हाजी की
 अदम्य हफ्जिरी - अदम्य पेशी में खारिज किया
 जाता है। पत्रावली फेसल नुमाद लेकर नक्कर
 से फरार होना वाद शामिल है। वकील मूल वाद के
 सेल्मन की।

उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०